

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

पत्रांक:- ६९८

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

सेवा में,

Amit Kumar,  
A.T.P.O. & P.S.—Paligaj  
...Patna.....


पालीगंज / दिनांक:- ०९/०६/२०२१

विषय:- GTSNY योजनान्तर्गत Ular Talab to T03 पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयाकित पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा एकरारनामा संख्या 33/SBD/GTSNY/2017-18 के अधीन पूर्ण किया गया है। एकरारनामा के अनुसार पूर्णता की तिथि से पाँच वर्षों तक अनुरक्षण कार्य आपको करना है तथा पथ को Defect Free हालत में रखना है। परन्तु आपके द्वारा एकरारनामा के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नियमित/पूर्ण रूप से नहीं कराया जा रहा है, जो काफी खेदजनक है। अनुरक्षण के अभाव में सरकारी सम्पत्ति का हास हो रहा है तथा आवागमन में कठिनाई हो रही है। जिसके लिए आप पूर्णतः जिम्मेवार हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से सात दिनों के अन्दर एकरारनामा के अनुसार संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के पर्यवेक्षण में अनुरक्षण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आठवें दिन से पैद्रहवें दिन के बीच पथ की अंतिम मापी ले ली जायेगी। मापी की तिथि की सूचना एक दिन पूर्व आपको दी जायेगी। मापी के समय आपकी अथवा आपके प्रतिनिधि की उपरिथित अनिवार्य होगी। ससमय उपरिथित नहीं रहने पर आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। तदोपरान्त एकरारनाम के Clause of Contract के SBD आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। तदोपरान्त एकरारनाम को विखंडित करते हुए अग्रधन एवं Clause में निहित सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में एकरारनाम को विखंडित करते हुए अग्रधन एवं जमानत की राशि जप्त कर लिया जायेगा। साथ ही निवधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा कर दिया जायेगा। अनुरक्षण कार्य विभाग द्वारा अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा तथा राशि की बसूली आपके जमानत एवं अन्य जप्त राशियों से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज